


6/24

पंजाब की पेश डूर, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीय
के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिले शांति
किये गये। विपक्षीय को कितनी कारकब संक ४२
आवाजे डिलायी जाने के बाद भी अनुपालित। इनके
बिन्दु एक वरफा कारकबि किये जाने का आदेश दिया
जाता है वकील प्रार्थी को प्रा-पत्र लीकर किया जाकर
निर्णय प्रथक से लिखा जाकर शांति किया गया।
पंजाब की फैसल शुमार हो कर जम्बर ले रम हो


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय अधिकारी- मनोज आर.एस.

संख्या - 209/24 प्रा.पञ्ज

श्री जमनादास पन्ना जाट निवासी-दाता कला तहसील-माण्डल

-प्राप्त

बनाम

श्री बाबूदास चम्पा लुहार निवासी-दाता कला तहसील-माण्डल [कौंसो]
(पृष्ठंकित प्रा.पञ्ज (कौंसो))

-विपरीत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 06-06-24

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर नियतन किया के
दाता कला पटवार इल्का दाता कला तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की
श्री नं० 620 कुल कित्ता 01 रकबा 0.2150 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि
पक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता
है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

1 प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.5.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
कौंसो से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का
कारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए
क की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर प्राप्त दाता कला पटवार
दाता कला तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 620
कित्ता 01 रकबा 0.2150 हेक्टेयर भूमि के दारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये
हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक माण्डल
500 रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में गौकें व कब्जे
यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर
पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा

लेपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाड़ा